न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 25/2020

विनोद कुमार पुत्र घूरे जाति जाट निवासी बरताई तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर (भरतपुर)

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.07.2020 तहसीलदार कुम्हेर। पत्रावली संख्या 03/2020 उनवानी पटवारी हल्का साबौरा बनाम विनोद अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री प्रमोद कुमार उपमन, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 10.02.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 16.07.2020 पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 1.28 है0 मे से 0.01 है0 पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2020 खिलाफ कानून होने से काबिल खारिजी के है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 197 रकवा 1.28 है0 वाकै ग्राम बरताई तहसील कुम्हेर में से 0.01 है0 पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखली एवं पैनल्टी का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहत न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है जबकि निर्णय करने से पूर्व विवादित आराजी की पैमाईश करानी चाहिये थी, परन्तु तहत न्यायालय ने ऐसा नहीं किया गया। उन्होने यह भी बताया कि नोटिस में वर्णित की गई जमीन पर कोई कब्जा/अतिक्रमण अपीलान्ट का नहीं है, वहां पर एक मंदिर बना हुआ है जिसमें सन्त समाज आकर रूकते है और पूजा करते है। उन्होने यह भी बताया कि तहत अदालत के आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 18.09.2020 को पटवारी ने अपीलाधीन आदेश का हवाला देकर धमकाया कि निर्माण को ध्वस्त करना है। तब अपीलान्ट ने तहसील में जानकारी की और दिनांक 18.09.2020 को नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त होने की दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की है। देरी के लिये धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2020 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2020 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। मुताविक रिपोर्ट पटवारी हल्का विवादित आराजी खसरा नम्बर 197 रकवा 1.28 है0 वाकै ग्राम बरताई किस्म गैरमुमकिन पोखर में से 0.01 है0 पर टीनशैड एवं कमरे का निर्माण कर अतिक्रमण किया साबित होता है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट कब्जा/अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट का यह कहना कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2020 की उसको जानकारी नहीं थी जबकि तहत न्यायालय की पत्रावली की आर्डरसीट दिनांक 16.07.2020 पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार कुम्हेर की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)